

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 798/2024
अनवान : -

1. रोहिताश पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. विद्या देवी पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. सरोज पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 09/19/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 43/42 की कुल 18.8550 हैक्ट भूमि में से 2/11 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 101/103 की कुल 5.1850 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0.36/34 की कुल 7.4490 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि देवीलाल पुत्र लाधुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वादी वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देवीलाल पुत्र लाधुराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। वादी के पिता देवीलाल पुत्र लाधुराम का स्वर्गवास हो चुका है देवीलाल पुत्र लाधुराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है इन्होंने अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।





उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण देवीलाल आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देवीलाल पुत्र लाधुराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। वादी के पिता देवीलाल पुत्र लाधुराम का स्वर्गवास हो चुका है देवीलाल पुत्र लाधुराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है इन्होंने अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता सं० 43/42 की कुल 18.8550 हैक्ट भूमि में से 2/11 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता सं० 101/103 की कुल 5.1850 हैक्ट भूमि मे से 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता सं० 36/34 की कुल 7.4490 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि देवीलाल पुत्र लाधुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देवीलाल पुत्र लाधुराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। वादी के पिता देवीलाल पुत्र लाधुराम का स्वर्गवास हो चुका है

अधिकारी
नोहर

देवीलाल पुत्र लाधुराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है इन्होने अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक देवीलाल के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 43/42 की कुल 18.8550 हैक्ट भूमि में से 2/11 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 101/103 की कुल 5.1850 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 36/34 की कुल 7.4490 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि देवीलाल पुत्र लाधुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में देवीलाल पुत्र लाधुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 798/2024

अनवान : -

1. रोहिताश पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. विद्या देवी पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. सरोज पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 798 सन 2024 निर्णय दिनांक 09/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 43/42 की कुल 18.8550 हैक्ट भूमि में से 2/11 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 101/103 की कुल 5.1850 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 36/34 की कुल 7.4490 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि देवीलाल पुत्र लाधुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में देवीलाल पुत्र लाधुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/9/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल त्प) 
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर